कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ०प० एवं उ०) जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) के निदेशानुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी न्यायालय परिसर के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख यात्रा वृतांत आदि)	कथित दोनों प्रतियोगिताओं का प्रपत्र 'स्वरचित रचना' सहित प्राप्ती एवं निर्गम अनुभाग के माध्यम से राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर) को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 अपराहन 4.00 बजे तक भेजे जा सकते हैं।
2	सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता 'लिखित परीक्षा'	

सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता दिनांक 20 सितम्बर 2022 को सांय 3.30 बजे सभागार, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

ध्यान दें :- विस्तृत जानकारी हेतु परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवम् अन्य जानकारी हेतु अनुभाग प्रभारी, राजभाषा अनुभाग (उत्तर) मे संपर्क कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामो की जानकारी यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियो को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

अजय सिंह परिहार

(अजय सिंह परिहार)
महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

व्हाट्सएप द्वारा स्वीकृत

(नीति सूरी मिश्रा)
अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

संख्या 27094-27216/प्रतियोगिता 2022/राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ०प० एवं उ०)   दिल्ली, दिनांक 14/09/22

उपर्युक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है।

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी, दिल्ली
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
4. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम, एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, देख रेख अनुभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रतियोगिता से संबंधित व्यवस्था का प्रबध करें।
6. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स/वेबसाईट, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी दिल्ली एवं मुख्यालय तीस हजारी, दिल्ली।

नोट :- सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपर्युक्त परिपत्र से अवगत करायें तथा उनके द्वारा प्रतियोगिता के लिए भरें हुए प्रपत्र को अग्रसरित करने की कृपा करें। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुचे

अजय सिंह परिहार
महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

व्हाट्सएप द्वारा स्वीकृत
अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओ का स्वरूप व नियमावली–2022

उत्तर–पश्चिम एव उत्तर जिला रोहिणी न्यायालय दिल्ली मे कार्यरत कर्मचारियो के लिए विविध हिन्दी प्रतियोगिताओ की श्रेणियॉ इस प्रकार है:-

(क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)
ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली :–

1 इन प्रतियोगिताओं मे उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2 निर्धारित तारीखों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय व स्थान इत्यादि की जानकारी प्रतियोगियों को यथासमय उपलब्ध करवा दी जाएगी।
3. ये प्रतियोगिताएँ निःशुल्क है।
4 इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोडल अधिकारी, उत्तर–पश्चिम एव उत्तर, राजभाषा अनुभाग उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमो का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते है।

(क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

1. इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।
2. इस प्रतियोगिता मे राजभाषा हिन्दी से सबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएगे।
3. इस प्रतियोगिता में अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियमः–

1 कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में नोडल अधिकारी, उत्तर–पश्चिम एव उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को भेजेगे।
2. स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र सलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी
3. स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नही होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है–

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/– रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/– रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/– रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	800/– रुपये

6 उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर के नियंत्रण व देखरेख में राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर के अधिकारियों एव कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।
7 कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमे उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियो ने समान अक प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात मे वितरित की जाएगी।
8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमो के निर्वहन आदि के बारे मे माननीय प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश (उत्तर–पश्चिम) एवं माननीय प्रधन जिला एव सत्र न्यायाधीश (उत्तर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

अजय सिंह परिहार

(अजय सिंह परिहार)
महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

व्हाट्सएप द्वारा स्वीकृत

(नीति सूरी मिश्रा)
अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ – 2022

उत्तर–पश्चिम एव उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली मे आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र.-

(क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)
(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तात आदि) प्रतियोगिता

(नोटः एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग–अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नाम..

1. कर्मचारी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. पदनाम : ....

4. कर्मचारी कूट संख्या : ....

5. वर्तमान तैनाती स्थल : ....

6. ई–मेल पता : ....

7. मोबाइल नम्बर : ....

अग्रसारित

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित